

BITT Polytechnic

Ranchi, Jharkhand -835217

BITT-P/Notice/2019-20

Dated: 15/02/2020

NOTICE

(For the Information to All Students)

4 वें सेमेस्टर के सभी छात्रों को यह सूचित किया जाता है कि उनकी नियमित कक्षा 17/02/2020 से शुरू होगी। केवल उन छात्रों को कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति है, जिन्होंने पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली है।

सभी छात्रों को सभी कक्षाओं में भाग लेने, कॉलेज में अनुशासन बनाए रखने और शिकायतों को रखने की आवश्यकता है। शिकायत केवल समितियों के माध्यम से या किसी अन्य शांतिपूर्ण और वैध तरीके से या समय-समय पर प्रबंधन द्वारा अधिसूचित तरीके से ही रखना चाहिए।

छात्रों द्वारा शांति भंग करने और कॉलेज में गड़बड़ी पैदा करने के किसी भी प्रयास को गंभीरता से देखा जाएगा और छात्रों को इस संबंध में निर्धारित मानदंडों के अनुसार सजा देने के लिए उत्तरदायी होगा। सभी छात्रों से अनुरोध है कि वे असामाजिक तत्व का हिस्सा न बनें। यह आपकी संस्था है और शिक्षा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बनाए रखना हमारी संयुक्त जिम्मेदारी है। हमारे प्रतिष्ठित कॉलेज से किसी भी तरह की गड़बड़ी को दूर रखने में हाथ मिलाएं।

कॉलेज छात्रों को प्रशिक्षण और प्लेसमेंट, परीक्षा, शैक्षणिक, छात्रों के पूर्व छात्रों, आदि के साथ-साथ वाई-फाई सुविधा, जो सभी ईआरपी पंजीकरण से संबंधित है, एक बार ईआरपी पूरा हो जाने के बाद इन सभी सुविधाओं को शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, लेकिन नोटिस, संदेशों और कॉल के माध्यम से नियमित स्मरण के बाद भी कई छात्रों ने आज तक अपना ईआरपी पंजीकरण पूरा नहीं किया है, जो केवल उनके लाभ के लिए है। छात्रों द्वारा अपूर्ण ईआरपी पंजीकरण के कारण संबंधित सुविधा कार्यान्वयन के लिए देरी हो रही है, और उन छात्रों को प्रभावित कर रही है जिन्होंने पहले ही अपना ईआरपी पंजीकरण पूरा कर लिया है।

एक बार फिर छात्रों को सख्ती से पालन करने के लिए निम्नलिखित नियम और कानून दिए जा रहे हैं, छात्रों को किसी भी परिस्थिति में JUT / AICTE या कॉलेज के नियमों के खिलाफ जाने की अनुमति नहीं है, जो की ैक्टे/महद भारत सरकार की अधिसूचना सं। F. सं।: 1-10UPG RC / AICTE / विनियमन / 2019, दिनांक: 22/10/2019, ऑनलाइन शिकायत निवारण के लिए, "अकादमिक नैतिकता" पर राष्ट्रीय नीति मसौदा पत्र सं। F.N. एआईसीटीई / पी एंड एपी / अकादमी नैतिकता / विविध / 2019 दिनांक: 08.07.2019, नवाचारों पर अधिसूचना और स्टार्ट-अप वीडियोग्राफी पत्र संख्या एफ। संख्या 2-11Star-up / SPD / 2018 दिनांक: 1 मार्च 2019, अधिसूचना कैंपस में वाई-फाई सेवाओं पर अधिसूचना अधिसूचना सं। F.No. - 16-5 / 2017- तेल दिनांकित। 15/01/2018, HRD, सरकार। भारत के पत्र क्रमांक 8-6 / 2017- तेल दिनांकित, डिजिटल पहल के लिए 25/10/2017, तकनीकी परिसर में रैगिंग की रोकथाम और निषेध पर AICTE और UGC अधिसूचना पत्र संख्या F.No.37-3 / कानूनी / AICTE / 2009 दिनांकित। 01/07/2009 और कई के आधार पर निम्नलिखित है

1. JUT के परीक्षा नियम और विनियम 2017 का सख्ती से पालन करना
2. इसके अलावा परीक्षा के नियम और विनियम 2011 of JUT / SBTE का पालन करें
3. प्रत्येक विषय (सिद्धांत और व्यावहारिक) में 75% उपस्थिति अनिवार्य है। सभी आंतरिक परीक्षाओं, सेमिनारों, औद्योगिक यात्राओं, अतिथि कक्षाओं, प्रश्नोत्तरी, परियोजना कार्य, विशेष व्याख्याता, बाहरी और आंतरिक वाइवा और अन्य सभी गतिविधियों में उपस्थिति अनिवार्य है।

4. आंतरिक अंक और रोमैटर परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम पूरी तरह से JUA नियमों और विनियमों के अनुसार पाठ्यक्रम पर आधारित है, जिसमें 75% उपस्थिति, सभी आंतरिक परीक्षाओं, रोमिटरों, औद्योगिक यात्राओं, अतिरिक्त कक्षाओं, प्रश्नोत्तरी, परीक्षाओं का, विशेष व्याख्याता, बाहरी और आंतरिक VIVA में उपस्थिति, नोट्स, समग्र अनुशासन और आचरण सहित अन्य सभी गतिविधियाँ शामिल हैं।

5. संस्थान में छात्र / कर्मचारी शिकायत निवारण समिति की उपलब्धता

6. संस्थान द्वारा छात्रों में तेजी से शिकायत निवारण और छात्रों की कठोरता सुनिश्चित करने के लिए पत्रिक 20 छात्रों के एक समूह के लिए छात्र गैटर (एक संकाय सदस्य) की भी शुरुआत की गई है।

7. आंतरिक मार्केट प्रक्रिया के लिए छात्रों द्वारा असाइनमेंट / प्रोजेक्ट का समय पर जमा करना अनिवार्य है।

8. JUA / कॉलेज द्वारा भेजे गए कार्यक्रम के अनुसार शैक्षणिक कैलेंडर का पालन करना।

9. छात्रों को आईडी कार्ड के साथ कॉलेज आना संस्थान के ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए।

10. छात्रों द्वारा जिम्मेदार तरीके से व्यवहार की अपेक्षा की जाती है।

11. छात्रों द्वारा व्यक्तिगत रूप से या समूह में विनाय व्यवहार की अपेक्षा की जाती है।

12. कोई भी दुर्व्यवहार कक्षा में या कॉलेज के परिसर में या बस में या परिसर के बाहर की स्थिति में छात्र के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

13. संस्थान या संस्थान की संपत्ति की क्षति सकती से निषिद्ध है।

14. कोई भी छात्र किसी भी गतिविधि में लिप्त नहीं होगा जो अवैध हो या अव्यवस्था का कारण बन सकता है।

15. कोई भी छात्र शराब, दुग्ध या किसी भी मादक पदार्थ के साथ संस्थान में प्रवेश नहीं करेगा, और न ही संस्थान परिसर में या बस या परिसर के बाहर भी ऐसी चीजों का सेवन करेगा।

16. धूमपान, पान, तंबाकू या गुटखा खाना सख्त मना है।

17. किसी भी रूप में अश्लील व्यवहार बर्तौस्त नहीं किया जाएगा।

18. कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, गलियारों में मोबाइल फोन का उपयोग सख्त से निषिद्ध है।

19. संस्थान के प्रमुख की अनुमति के बिना कंपस पर वीडियो शूटिंग, फोटोग्राफी, संगीत वाद्ययंत्र बजाना और रेडियो सुनना, टेपरिकॉर्डर आदि गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं।

20. छात्रों को अध्ययन शुरू होने से पहले समय कक्षा में रहने की उम्मीद है।

21. बाह्य से आने-जाने वालों के लिए हेल्मेट का इस्तेमाल अनिवार्य है।

22. पत्रिक छात्र को अपना पहचान पत्र ले कर आना और प्राधिकरण / संकाय सदस्य द्वारा मंगे जाने पर दिखाया जाना चाहिए।

23. किसी भी तरह की रेगिंग क्लारस, कंपस या बस में या कंपस के बाहर भी वर्जित है।

24. छात्र द्वारा संस्थान के प्रमुख या विभाग (एचओडी) या अन्य विभाग प्रमुखों द्वारा जारी किए गए किसी भी प्रकार के निर्देशों की अवहेलना करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

25. इसके अतिरिक्त किसी भी जो संस्थान के प्रमुख मानते हैं उसपर अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके भरोसे के तहत की जाएगी।

26. कोई अन्य नियमों को जोड़ा जा सकता है या पूर्वोक्त नियमों को अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है।

27. छात्रों को छात्रों को ऐप का उपयोग करने के लिए ईआरपी सॉफ्टवेयर पर खुद को पंजीकृत करने की जरूरत है जो बहुत जल्द कॉलेज द्वारा प्रदान किया जाएगा।

28. छात्रों की बायोमेट्रिक उपस्थिति पंजीकृत करना अनिवार्य है।

29. छात्र को परिसर के अंदर और बाहर अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता है।

30. छात्र समिति का गठन और समिति की नियमों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है।

31. छात्र इन-आउट: सुबह 9.00 बजे से 4.15 बजे तक।

32. परिसर के अंदर छात्र पार्किंग का उपयोग करें।

33. छात्रों को शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का सम्मान करना चाहिए।

34. विश्वविद्यालय / एआईसीटीई / कॉलेज के नियमों और विनियमों का पालन किया जाना चाहिए।

35. छात्रों को हमेशा प्रवेश और निकास के लिए सीडी-1 का उपयोग करना चाहिए।

36. छात्रों को कॉलेज की वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर नियमित रूप से जाना चाहिए / कॉलेज द्वारा एसएमएस को भी नियमित देखना चाहिए

37. छात्रों को कॉलेज से एसएमएस और कॉल के माध्यम से सूचना अपडेट प्राप्त करने के लिए काउंटर नंबर -3 पर अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करना होगा।

38. यदि छात्रावास / निवास के बाहर रहने वाले छात्रों को कॉलेज में अपने छात्रावास / निवास को अद्यतन करने की आवश्यकता है।

39. समय-समय पर JUT / AICTE / कॉलेज द्वारा निर्धारित कोई अन्य नियम।


Principal

Principal
BITT Polytec
Getlatu, Ranchi

Copy To

1. Honorable Chairman GOI
2. Asst. Registrar
3. Account Dept.
4. All HoDs
5. Library
6. Workshop
7. Labs
8. To Upload on website
9. Notice Board
10. M/F